

# बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

## आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-189/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० आयशा परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर सडा, अरवल द्वारा अपने प्रथम सतान के देखभाल हेतु दिनांक-08.07.2022 से 08.07.2024 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के पत्रांक-285(25) दिनांक-07.02.2025 के आलोक में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-08.07.2022 से 06.07.2024 तक	-	कुल-730 (सात सौ तीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-07.07.2024 से 08.07.2024 तक	-	कुल-02 (दो) दिन का देय अवकाश के रूप में।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-189/2024- 911(2) पटना, दिनांक 30/ 4 / 2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संडा, अरवल/जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल/डा० आयशा परवीन, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर संडा, अरवल को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wamun 20/1/2026  
सरकार के उप सचिव।  
4